भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1686

(जिसका उत्तर सोमवार, 31 जुलाई, 2023/9 श्रावण, 1945 (शक) को दिया गया)

अकार्यशील कंपनियां

1686. श्री एस. ज्ञानतिरावियमः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अकार्यशील सूचीबद्ध कंपनियों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है;
(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान बंद हुई कंपनियों की संख्या कितनी है और उनके बंद होने के प्रमुख कारणों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसी कंपनियों से नई कंपनियों में कितने लोगों को रोजगार मिला है और कंपनियों के बंद होने के कारण कितने लोग बेरोजगार हुए हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, सभी कंपनियां तब तक कार्यशील हैं, जब तक, उन्होंने स्वयं को निष्क्रिय घोषित नहीं किया है। सूचीबद्ध कंपनियों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित किया जाता है और स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचित किया गया है कि वे किसी कंपनी को कार्यशील और अकार्यशील में वर्गीकृत नहीं करते हैं।

सेबी ने सूचित किया है कि किसी सूचीबद्ध कंपनी को गैर-अनुपालनकर्ता सूचीबद्ध कंपनी माना जाता है जब वह प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमों/सूचीकरण करारों/विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहती है। गैर-अनुपालन करने वाली सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में निम्नलिखित का अनुसरण किया जाता है-

<u>प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957</u>

1. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 का नियम 21 प्रतिभूतियों की डीलिस्टिंग से संबंधित है, जिसमें प्रावधान है कि एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर उस पर सूचीबद्ध किसी भी प्रतिभूतियों को डीलिस्ट कर सकता है-

क) कंपनी को पूर्ववर्ती लगातार तीन वर्षों के दौरान घाटा हुआ हो और इसका नकारात्मक नेटवर्थ हो;

ख) कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार छह महीने से अधिक की अवधि के लिए निलंबित रहा हो;

ग) पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान कंपनी की प्रतिभूतियों का अकसर कारोबार नहीं होता रहा है;

घ) कंपनी या उसके किसी संप्रवर्तक या उसके किसी निदेशक को अधिनियम या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) या उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों, करारों, जैसा भी मामला है, में से किसी प्रावधान का पालन करने में विफल रहने के लिए दोषी ठहराया गया है और उस पर कम से कम एक करोड़ रुपये का जुर्माना या कम से कम तीन वर्ष का कारावास लगाया गया है।

ङ) कंपनी या उसके किसी प्रमोटर या उसके किसी भी निदेशक के पते ज्ञात नहीं हैं या गलत पते प्रस्तुत किए गए हैं या कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपने पंजीकृत कार्यालय को बदल दिया है; या पब्लिक द्वारा धारित कंपनी की शेयरधारिता अधिनियम के तहत लिस्टिंग समझौते के अनुसार कंपनी पर लागू न्यूनतम स्तर से नीचे आ गई है और कंपनी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर आवश्यक स्तर तक सार्वजनिक होल्डिंग को बढ़ाने में विफल रही है।

च) जनता द्वारा धारित कंपनी की शेयरधारिता अधिनियम के तहत सूचीबद्धता करार के अनुसार कंपनी पर लागू न्यूनतम स्तर से नीचे आ गई है और कंपनी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर आवश्यक स्तर तक सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाने में विफल रही है।

<u>सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021</u>

2. इसके अतिरिक्त, सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 के विनियमन 32 के अनुसार, सेबी ने प्रावधान किया है कि मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज तर्कसंगत आदेश के माध्यम से उपरोक्त आधार पर किसी कंपनी के इक्विटी शेयरों को अनिवार्य रूप से डीलिस्ट कर सकता है।

इसके अलावा, सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 के विनियमन 34 के संदर्भ में, सेबी ने अनिवार्य डीलिस्टिंग के मामले में कुछ परिणाम भी लगाए हैं, जो निम्नानुसार हैं-

i. जहां किसी कंपनी को अनिवार्य रूप से डिलिस्ट किया गया है, वहां प्रतिभूति कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार कंपनी, उसके पूर्णकालिक निदेशकों, व्यक्तियों और उन कंपनियों को, जो उनमें से किसी द्वारा प्रोत्साहित की जाती हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने या किसी भी इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने की मांग करने या ऐसी लिस्टिंग करने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं है।

ii. इसके अतिरिक्त, ऐसे मामले में जहां ऐसी कंपनी के प्रमोटर एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर सार्वजनिक शेयरधारकों को निकास विकल्प प्रदान नहीं करते हैं, कुछ अतिरिक्त परिणाम लगाए जाते हैं, जैसा कि निम्नानुसार प्रावधान किया गया है-

क) ऐसी कंपनी और निक्षेपगारों को संप्रवर्तकों/संप्रवर्तक समूह द्वारा धारित किसी भी इक्विटी शेयरों के विक्रय, गिरवी आदि के रूप में अंतरण को प्रभावी करने की अनुमति नहीं है और प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह द्वारा धारित सभी इक्विटी शेयरों के लिए लाभांश, अधिकार, बोनस शेयर, विभाजन आदि जैसे कारपोरेट लाभों को रोक दिया जाता है।

ख) अनिवार्य रूप डिलिस्ट की गई कंपनी के प्रवर्तक, पूर्णकालिक निदेशक और प्रतिभूति कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भी किसी सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक बनने के पात्र नहीं हैं।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, पिछले 5 वर्षों में अर्थात् जनवरी 2018 से 18 जुलाई, 2023 तक अनिवार्य रूप से डीलिस्ट की गई ऐसी कंपनियों की संख्या 781 है।

(ख): ऐसी 150505 कंपनियां हैं जो पिछले दो वर्षों अर्थात 01.04.2021 से 31.03.2023 के दौरान बंद हो गई हैं। इन कंपनियों के बंद होने के प्रमुख कारणों में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 248(1) के तहत कंपनियों के नाम हटाने और अधिनियम की धारा 248(2) के तहत उनके नाम हटाने के लिए कंपनियों द्वारा किए गए स्वैच्छिक आवेदन, अधिनियम के अंतर्गत कंपनियों का समामेलन/विलय, कंपनी अधिनियम, 2013 और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के तहत कंपनियों के विघटन के लिए कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) द्वारा शुरू की गई कार्रवाई है।

(ग): इस मंत्रालय द्वारा ऐसे कोई आंकड़ें नहीं रखे जाते हैं।

*****